किस्म मुक

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
19/2/26	वकील वादी उप./ प्रतिवादी सं. 2/1 की तलबी रिपोर्ट अप्राप्त / पत्रावली वास्ते इंतजार तलबी रिपोर्ट दिनांक 5/3/26 को पेश हो। sd/-
5/3/26	आवाज पर हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 18/3/26 को पेश हो। sd/-
18/3/26	वकील वादी उप. / प्रति. सं. 2/1 श्रीमति पार्वती की तलबी होना अवगत कराया। प्रति. सं. 2/1 ने तलबी लेने से मना करने से तलबी मानी गई। प्रति. सं. 2/1 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम दि. 30/3/2026 को पेश हो। sd/-
30/3/26	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। बहस वकील वादी एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यो को संक्षिप्त में दोहराते हुए निवेदन किया कि श्री गणेश जी महाराज का मन्दिर ग्राम बल्लोप में स्थित है। जिसमें भगवान गणेश जी महाराज की मुर्ति विराजमान है वादी स्थायी रूप से नाबालिग है इसलिए यह वाद वादी की ओर से नेक्सट फ्रेन्ड पुजारी देवराज आ0 नंदा जी जाति ब्राहम्ण दाधीच निवासी ग्राम जाखमुण्ड की ओर से प्रस्तुत किया गया था। कृषि भूमि खसरा सं0 233 रकबा 22 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम बल्लोप में स्थित है। जो मन्दिर गणेश जी महाराज के खातेदारी में ग्राम बल्लोप में अंकित है और यह भूमि गणेश जी की डोहली के नाम से भी जानी जाती है। जिसके पुजारी पूर्व में वादी के दादा कल्याण जी थे और वे अपने पूर्वजो के समय से उक्त मूर्ति की सेवा पूजा एवं व्यवस्था करते आ रहे थे। कल्याण जी के देहान्त के पश्चात वादी के पिता नन्दा जी एवं नन्दा जी के देहान्त पश्चात वादी देवराज आ0 नन्दा जाति ब्राहम्ण दाधीच उपरोक्त मन्दिर मूर्ति श्री गणेश जी महाराज स्थान बल्लोप की सेवा पूजा कर रहे है एवं वंशानुगत रूप से पुजारी है। उक्त डोहली की भूमि वादी के कब्जे में पुजारी की हेसियत से है। प्रतिवादीगण का

नम्बर हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उक्त वादग्रस्त आराजी पर कोई कानूनी हक अधिकार नही है ना ही हक हासिल हो सकता है। किन्तु कुछ समय से प्रतिवादीगण के मन में बदनियती आ गई और प्रतिवादीगण जबरन ताकत के बल पर वादग्रस्त आराजी पर कब्जा करने पर आमादा है। जिसका प्रतिवादीगण को कोई वैधानिक अधिकार नही है।

वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन मे स्वयं वादी देवराज शर्मा आ. नंदलाल ,लक्ष्मण सिंह आ. किशन सिंह, प्रेमसिंह आ0 नंदसिंह का शपथ पत्र पेश कर दस्तावेज नकल निर्णय दिनांक 22.10.2007 न्यायालय सिविल न्यायाधीश तालेडा प्रदर्श-1, जमाबन्दी संवत 2054-57 ग्राम बल्लोप प्रदर्श-2, नक्शा ट्रेस प्रदर्श-3, लगान की रसीद प्रदर्श-4, सिंचाई विभाग का मांग पत्र प्रदर्श-5, मांग पत्र प्रदर्श-6, जमाबन्दी संवत् 2042-45 प्रदर्श-7 पेश किये गये।

प्रतिवादीगण द्वारा वाद में जवाब प्रस्तुत करने के पश्चात लगातार अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने से साक्ष्यप्रतिवादी पेश नही की गई।

प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत करने पर प्रकरण में तनकीयात कायम की गई जो निम्नानुसार है-

1. आया वादी विवादित आराजी पर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

   वादी

2. आया विवादित आराजी मन्दिर का होने से प्रतिवादीगण द्वारा मन्दिर रघुनाथ जी एवं गणेश जी भेरु जी, देवनारायण जी ग्राम बल्लोप के नाम ट्रस्ट विधि अनुसार बनाकर ट्रस्ट रजिस्टर्ड हेतु वाद देवस्थान विभाग में विचाराधीन होने से वाद धारा 10 जा0दी0 के अन्तर्गत चलने योग्य नही है।

   प्रतिवादी

3. आया विवादित आराजी पर वक्त वाद वादी का कब्जा नही होने एवं ट्रस्ट द्वारा विधिवत मन्दिर का संचालन किये जाने से वाद चलने योग्य नही है।

   प्रतिवादी

4. आया ट्रस्ट एवं ट्रस्ट से सम्बन्धित पुजारी के पक्षकार नही बनाने से वाद चलने योग्य नही है।

   प्रतिवादी

5. अनुतोष

बहस उभयपक्ष पर मनन करने, पत्रावली का अवलोकन किया तथा तर्कों पर मनन किया गया।

तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है -

1. आया वादी विवादित आराजी पर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था, वादी द्वारा वादपत्र के समर्थन मे स्वयं वादी देवराज शर्मा आ. नंदलाल ,लक्ष्मण सिंह आ. किशन सिंह, प्रेमसिंह आ0 नंदसिंह का शपथ पत्र पेश कर दस्तावेज नकल निर्णय दिनांक 22.10.2007 न्यायालय सिविल न्यायाधीश तालेडा प्रदर्श-1, जमाबन्दी संवत 2054-57 ग्राम बल्लोप प्रदर्श-2, नक्शा ट्रेस प्रदर्श-3, लगान की रसीद प्रदर्श-4, सिंचाई विभाग का मांग पत्र प्रदर्श-5, मांग पत्र प्रदर्श-6, जमाबन्दी संवत् 2042-45 प्रदर्श-7 पेश किये प्रदर्श-1 नकल निर्णय दिनांक 22.10.2007 न्यायालय सिविल न्यायाधीश तालेडा का अवलोकन करने पर उक्त निर्णय में वादी को मन्दिर गणेश जी महाराज की भूमि पर पुजारी मानते हुए प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई, प्रदर्श-4 लगायत 7 का अवलोकन करने पर मन्दिर गणेश जी महाराज की डोहली भूमि पर पुजारी

के रूप में वादी एवं वादी के पुर्वजो का नाम वर्ज रेकार्ड होना उक्त मन्दिर का पुजारी वादी का होना प्रमाणित करता है। मन्दिर मूर्ति गणेश जी महाराज शास्वत नाबालिक है जिसके संरक्षण हेतु पुजारी का नियत किया जाता है एवं उक्त मन्दिर मूर्ति गणेश जी महाराज के पुजारी वादी एवं वादी के पूर्वज रहे है यह प्रस्तुत दस्तावेजात् से सिद्व है अतः यह तनकी वादी के पक्ष में प्रमाणित की जाती है।

2. **आया विवादित आराजी मन्दिर का होने से प्रतिवादीगण द्वारा मन्दिर रघुनाथ जी एवं गणेश जी भेरू जी, देवनारायण जी ग्राम बल्लोप के नाम ट्रस्ट विधि अनुसार बनाकर ट्रस्ट रजिस्टर्ड हेतु वाद देवस्थान विभाग में विचाराधीन होने से वाद धारा 10 जा0दी0 के अन्तर्गत चलने योग्य नही है।**

इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर था किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत करने के पश्चात वाद पत्र की अग्रिम कार्यवाही में भाग नही लिया गया। ना ही साक्ष्य में कोई तथ्य प्रस्तुत किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रतिवाद पत्र का अवलोकन करने एवं प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन करने पर प्रतिवादीगण द्वारा ट्रस्ट हेतु देवस्थान विभाग में आवेदन किया जाना प्रमाणित है किन्तु क्या उक्त ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुआ एवं उसका संचालन किस प्रकार हुआ ऐसा कोई तथ्य प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत नही करने से उक्त तथ्य को प्रमाणित नही माना जा सकता साथ ही उक्त रजिस्ट्रेशन केवल मात्र एक मन्दिर के लिए नही बनाकर विभिन्न मन्दिरो को लेकर पेश किया गया है जिसे प्रमाणित माना जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। ना ही प्रतिवादीगण द्वारा अपने कथनो के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश किया गया। ट्रस्ट रजिस्टर्ड हेतु आवेदन किये जाने से वाद धारा 10 जा0दी के तहत स्थगित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्व वादी के पक्ष में प्रमाणित की जाती है।

3. **आया विवादित आराजी पर वक्त वाद वादी का कब्जा नही होने एवं ट्रस्ट द्वारा विधिवत मन्दिर का संचालन किये जाने से वाद चलने योग्य नही है।**

इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर था, किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत करने के पश्चात वाद पत्र की अग्रिम कार्यवाही में भाग नही लिया गया। ना ही प्रतिवादी पत्र में वर्णित उक्त तथ्यो के समर्थन में कोई साक्ष्य / तथ्य प्रस्तुत किये गये। मन्दिर मूर्ति गणेश जी महाराज शाश्वत नाबालिक है एवं मन्दिर का पुजारी वादी एवं वादी के पूर्वज होना दस्तावेज से प्रमाणित है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्व वादी के पक्ष में प्रमाणित की जाती है।

4. **आया ट्रस्ट एवं ट्रस्ट से सम्बन्धित पुजारी के पक्षकार नही बनाने से वाद चलने योग्य नही है।**

इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर था, किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत करने के पश्चात वाद पत्र की अग्रिम कार्यवाही में भाग नही लिया गया। ना ही प्रतिवादी पत्र में वर्णित उक्त तथ्यो के समर्थन में कोई साक्ष्य / तथ्य प्रस्तुत किये गये। मन्दिर मूर्ति गणेश जी महाराज शाश्वत नाबालिक है एवं मन्दिर का पुजारी वादी एवं वादी के पूर्वज होना दस्तावेज से प्रमाणित है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्व वादी के पक्ष में प्रमाणित की जाती है।

अनुतोष – पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड तनकीवार विवेचन एवं बहस उभयपक्ष पर मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि वादग्रस्त आराजी मन्दिर मूर्ति गणेश जी महाराज की डोहली की भूमि है एवं मूर्ति एवं शाश्वत अवयस्क नाबालिक होने से मन्दिर की सेवा पुजा एवं आय हेतु मन्दिर के खाते वादग्रस्त आराजी भूमि खसरा सं0 233 रकबा 22 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम बल्लोप में स्थित है जिस पर पुजारी के रूप में वादी एवं वादी के पूर्वजो का

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रतिवादीगण का वादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार का कोई हक अधिकार प्रमाणित नही है। अतः उक्त वादग्रस्त आराजी मन्दिर मूर्ति श्री गणेश जी महाराज स्थान बल्लोप की कृषि भूमि होने के कारण एवं मूर्ति एक शाश्वत अवयस्क नाबालिग होने के कारण उसके अधिकारो की रक्षा एवं हितो की रक्षा करने का कर्तव्य न्यायालय एवं सरकार का है इस हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 में महत्वपूर्ण उपबन्ध किये हुए है एवं माननीय राजस्व मण्डल अजमेर एवं माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई न्यायिक निर्णयों में मन्दिर मूर्ति की भूमि की सुरक्षा हेतु कई निर्णय पारित किये है। ऐसी स्थिति में मन्दिर मूर्ति गणेश जी महाराज शास्वत नाबालिक की डोहली भूमि को संरक्षित एवं सुरक्षित रखा जाना नितान्त आवश्यक है अतः वादी मन्दिर मुर्ति गणेश जी महाराज की खातेदारी अधिकार की भूमि पर वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी बाबत स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी खसरा सं0 233 रकबा 22 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम बल्लोप पर वादी के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नही करे। भूमि पर कब्जा नही करे, कृषि भूमि के उपयोग उपभोग में व्यवधान उत्पन्न नही करे ना अन्य से करावें। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

MJ

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

ब अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बून्दी।

इजलास मनस्वी नरेश , आर0ए0एस0

मन्दिर मूर्ति गणेश जी महाराज विराजमान बल्लोप जरिये पुजारी देवराज आ0 नन्दा जाति ब्राहम्ण नि0 जाखमुण्ड तह0 तालेडा वादी

बनाम

1. मोडूलाल आ0 किशना जाति मीणा निवासी बल्लोप मृतक जर्ये का0मु0
   - 1/1. श्रीमति कली बेवा मोडूलाल जाति मीणा नि0 बल्लोप तह0 तालेडा
   - 1/2. श्रीमति भूमि पत्नी मोडूलाल जाति मीणा नि0 बल्लोप तह0 तालेडा
   - 1/3. लक्ष्मी पुत्री मोडूलाल जाति मीणा नि0 बल्लोप तह0 तालेडा
   - 1/4. रतन पुत्री मोडूलाल जाति मीणा नि0 बल्लोप तह0 तालेडा
2. ऊंकार पुत्र भंवरलाल जाति मीणा नि0 बल्लोप मृतक जर्ये कायम मुकाम
   - 2/1. श्रीमति पार्वती पत्नी ऊंकार जाति मीणा नि0 बल्लोप
   - 2/2. घोडू पुत्र ऊंकार जाति मीणा नि0 बल्लोप
   - 2/3. गोपाल पुत्र ऊंकार जाति मीणा नि0 बल्लोप
   - 2/4. रामदेव पुत्र ऊंकार जाति मीणा नि0 बल्लोप
   - 2/5. पार्वती पुत्री ऊंकार जाति मीणा नि0 देहित
   - 2/6. कमला पुत्री ऊंकार जाति मीणा नि0 खजूरी
   - 2/7. ललीता पुत्री ऊंकार जाति मीणा नि0 बल्लोप
3. कैलाश पुत्र भंवरलाल जाति मीणा नि0 बल्लोप (आदेशिका दि. 24.1.2026 की अनुपालना में विलोपित)
4. नारायण आ0 देवीराम मीणा नि0 बल्लोप मृतक जर्ये कायम मुकाम
   - 4/1. बर्दीबाई बेवा नारायण जाति मीणा नि0 बल्लोप
   - 4/2. पन्नालाल पुत्र नारायण जाति मीणा नि0 बल्लोप
   - 4/3. प्रहलाद पुत्र नारायण जाति मीणा नि0 बल्लोप
   - 4/4. जगदीश पुत्र नारायण जाति मीणा नि0 बल्लोप
5. गोपीलाल पुत्र बाला जाति मीणा निवासी बल्लोप मृतक जर्ये कायम मुकाम
   - 5/1. पुष्पा बेवा गोपीलाल जाति मीणा निवासी बल्लोप
   - 5/2. प्रकाश पुत्र गोपीलाल जाति मीणा निवासी बल्लोप
   - 5/3. सुखलाल पुत्र गोपीलाल जाति मीणा निवासी बल्लोप
   - 5/4. द्वारकालाल पुत्र गोपीलाल जाति मीणा निवासी बल्लोप
   - 5/5. शान्तिबाई पुत्री गोपीलाल जाति मीणा निवासी सावेली
   - 5/6. मूर्तिबाई पुत्री गोपीलाल जाति मीणा निवासी लालपुरा तह0 बून्दी

प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट

33/दावा/2001

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहहाजरी श्री अनन्त शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुदई ..... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि अतः वादी का वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी खसरा सं0 233 रकबा 22 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम बल्लोप पर वादी के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नही करे। भूमि पर कब्जा नही करे, कृषि भूमि के उपयोग उपभोग में व्यवधान उत्पन्न नही करे ना अन्य से करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

नीज................ मुबलिक........................ बाबत..................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह................ फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

		रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
मुदई स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत स्टाम्प बयान सबूत महनताना वकील खर्चा तलबाना फीस कमिश्नर बाबत इश्तहार मुनादी मुतफर्रिक मीजान				स्टाम्प वकालत स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा तलबाना फीस कमिश्नर बाबत इश्तहार मुनादी मुतफर्रिक		

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 30 माह 03 वर्ष 2026 को जारी की गई।

मोहर

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा